न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–21 / 2024
CMS NO:- 2024/216

दायर दिनांकः 06.09.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

अनिता पत्नी अशोक कुमार नि0 नैनवॉ तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 21)

– प्रार्थीगण

बनाम

कल्याण आ0 धुली नि0 हनवन्तपुरा हाल नि0 घाड तहसील दुनी जिला टोंक वगै. (कुल 06)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ द्वितीय तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 1109 रकबा 6.9817 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण 1 लगायत 21 व प्रत्यार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता नैनवॉ से बालून्दा जाने वाली डामर सडक से फटकर उत्तरी ओर भूमि खसरा नम्बर 1122, 1110 के बीच मेर पर होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1109 तक पहुंचता है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि खसरा नम्बर 1122 के खातेदारान प्रार्थीगण 2 लगायत 4 है व खसरा नम्बर 1110 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 है जिसे भूरा एवं भंवरलाल दोनों नामों से जानते है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता नही है। यह कि चाहा गया रास्ता सकडा पडता है जिसको 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए जिसके लिए प्रार्थी प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू द्वारा वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नैनवॉ द्वितीय तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 1109 रकबा 6.9817 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण 1 लगायत 21 व प्रत्यार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता नैनवॉ से बालून्दा जाने वाली डामर सडक से फटकर उत्तरी ओर भूमि खसरा नम्बर 1122, 1110 के बीच मेर पर होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1109 तक पहुंचता है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि खसरा नम्बर 1122 के खातेदारान प्रार्थीगण 2 लगायत 4 है व खसरा नम्बर 1110 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 है जिसे भूरा एवं भंवरलाल दोनों नामों से जानते है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता नही है। यह कि चाहा गया रास्ता सकडा पडता है जिसको 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1109 के लिए रास्ता चाहा जा रहा है, वह भूमि शामलाती भूमि है जिसका अभी तक विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है अतः बिना विभाजन के रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस का मनन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1109 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ